



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-34/2019

दर्ज तिथि:-12.03.2019

1. जालाराम पुत्र प्रहलादराम  
जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना हाल निवासी कोजा तहसील धोरीमन्ना,बाड़मेर  
.....वादी

बनाम

1. धनी पत्नी ठाकराराम(विलोपित)  
2. मकु देवी पत्नी बाबूलाल  
3. रणछाराम पुत्र समेलाराम(विलोपित)  
4. गुणेछाराम पुत्र समेलाराम(विलोपित)  
5. केवलाराम पुत्र डूंगराराम  
जाति मेघवाल साकिन धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना,जिला बाड़मेर  
6. धनाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी सूदाबेरी तहसील धोरीमन्ना  
.....असल प्रतिवादीगण  
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना  
.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री ओमप्रकाश विश्‍नोई  
प्रतिवादीगण:-श्री देवाराम चौधरी  
श्री हापूराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-01.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 365/3/0.2023 है0 वाके ग्राम धोरीमन्ना पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व नुकसान


सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

- वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 से 6 वाद तामील असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर वकुलाय सहमति होने पर बिना जवाबदावा व साक्ष्य प्रस्तुत किये सीधे बहस का निवेदन किया दावा तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 04.03.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर भू-धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1511 दिनांक 17.06.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2025/1511 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

| प्रक्रिया हेतु प्रावधान  | अपनायी गई प्रक्रिया  |
|--|--|
| <p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b><br/>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p> | <p>प्रकरण में दिनांक 02.06.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/ गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>  |
| <p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>   | <p>1. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक भू.अ./2025/नोटिस/1416-22 दिनांक 16.05.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 02.06.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। समस्त वादी एवं प्रतिवादी पक्षकार द्वारा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये गए।</p> |

- प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण वकुलाय द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072-2075 तथा

  
 सहायक कलक्टर  
 SDO धोरीमन्ना

कुर्रैजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 365/3/0.2023 है0 वाके ग्राम धोरीमन्ना पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रैजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।


4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 365/3/0.2023 है0 वाके ग्राम धोरीमन्ना पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

| खातेदार   | हिस्सा | खसरा  | रकबा   | किस्म  | लगान | बरंग   |
|---|--------|-------|--------|--------|------|--------|
| जालाराम पुत्र प्रहलादराम<br>कौम मेघवाल सा.कोजा<br>खातेदार | पूर्ण  | 365/3 | 0.0162 | बा.सो. | 0.01 | बैंगनी |
|   |        | 1     | 0.0162 |        | 0.01 |        |
| केवलाराम पुत्र डूंगराराम<br>कौम गवारिया सा.देह<br>खातेदार | पूर्ण  | 365/3 | 0.0405 | बा.सो. | 0.01 | हरा    |
|   |        | 1     | 0.0405 | बा.सो. | 0.01 |        |
| धनाराम पुत्र मूलाराम<br>कौम मेघवाल सा.सुदाबेरी<br>खातेदार | पूर्ण  | 365/3 | 0.1134 | बा.सो. | 0.03 | लाल    |
| मकु देवी पत्नी बाबूलाल<br>कौम मेघवाल सा.देह<br>खातेदार    | पूर्ण  | 365/3 | 0.0322 | बा.सो. | 0.01 | काला   |



उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुरेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(भागीरथराम आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर  
धोरीमन्ना-बाड़मेर  
SDU



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2019/00144

दर्ज तिथि:-12.03.2019

1. जालाराम पुत्र प्रहलादराम  
जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना हाल निवासी कोजा तहसील धोरीमन्ना, बाड़मेर  
.....वादी

बनाम

1. धनी पत्नी ठाकराराम(विलोपित)
2. मकु देवी पत्नी बाबूलाल
3. रणछाराम पुत्र समेलाराम(विलोपित)
4. गुणेछाराम पुत्र समेलाराम(विलोपित)
5. केवलाराम पुत्र डूंगराराम  
जाति मेघवाल साकिन धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर
6. धनाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी सूदाबेरी तहसील धोरीमन्ना  
.....असल प्रतिवादीगण
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना  
.....तकमीली प्रतिवादीगण


उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री ओमप्रकाश विश्णोई  
प्रतिवादीगण:-श्री देवाराम चौधरी  
श्री हापूराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53, 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

### :-पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 365/3/0.2023 है 0 वाके ग्राम धोरीमन्ना पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

| खातेदार   | हिस्सा | खसरा  | रकबा   | फिरम   | लगान | वरंग   |
|---|--------|-------|--------|--------|------|--------|
| जालाराम पुत्र प्रहलादराम<br>कौम मेघवाल सा.कोजा<br>खातेदार | पूर्ण  | 365/3 | 0.0162 | बा.सो. | 0.01 | वैंगनी |
|   |        | 1     | 0.0162 |        | 0.01 |        |
| केवलाराम पुत्र डूंगराराम<br>कौम गवारिया सा.देह<br>खातेदार | पूर्ण  | 365/3 | 0.0405 | बा.सो. | 0.01 | हरा    |
|   |        | 1     | 0.0405 | बा.सो. | 0.01 |        |
| धनाराम पुत्र मूलाराम<br>कौम मेघवाल सा.सुदाबेरी<br>खातेदार | पूर्ण  | 365/3 | 0.1134 | बा.सो. | 0.03 | लाल    |
| मकु देवी पत्नी बाबूलाल<br>कौम मेघवाल सा.देह<br>खातेदार    | पूर्ण  | 365/3 | 0.0322 | बा.सो. | 0.01 | काला   |



उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

यह डिक्री आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

11/7/2025  
(भागीरथराम आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
धौरीमन्ना-बाड़मेर